संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर–छत्तीसगढ़

"सार्वजनिक सूचना"

किशोर न्याय (बालक देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 के अंतर्गत बालक देखरेख संबंधी संस्थाओं के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में

छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के ऐसे सभी स्वैच्छिक/धार्मिक संगठन/व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह जो बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण अथवा समान प्रयोजन के लिए आवासीय बालक/बालिका देखरेख संस्थाओं का संचालन कर रहे है, उन सभी पक्षकारों को सूचित किया गया था कि इस तरह की संस्था के संचालन के लिए किशोर न्याय (बालक देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 34 उपधारा (3) के अंतर्गत राज्य सरकार के संबंधित विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है ।

ऐसी सभी संस्थाएं/धार्मिक संस्थायें/व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह जो बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण अथवा समान प्रयोजन के लिए आवासीय बालक/बालिका देखरेख संस्थाओं का संचालन कर रहे है, उन सभी पक्षकारों को **सूचना दी जाती है कि वे 31 अक्टूबर 2015 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला कार्यकम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में तथा एक प्रति संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर 492002 को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।** संस्था का पंजीयन न होने की दशा में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 के प्रावधानों के तहत गैर पंजीकृत संस्थाऐं बालक/बालिका देखरेख व सरंक्षण के आवासीय प्रयोजन हेतु अवैध मानी जावेगी तथा ऐसी संस्थाओं से बच्चे पंजीकृत/मानक संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिए जावेंगे एवं गैर पंजीकृत संस्थाओं/व्यक्ति/समूह के विरूद्ध बच्चों को अनाधिकृत रूप से निरूद्ध रखने का प्रकरण मानते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विद्यमान कानूनों के तहत कार्यवाही की जावेगी । यह निर्देश प्रावधिक पंजीकृत संस्थाओं पर भी लागू होंगे। प्रावधिक पंजीकृत संस्थायें निर्धारित समयावधि के अंदर स्थायी पंजीकरण हेतु सभी औपचारिकताओं की पूति सुनिश्चित करेंगे तथा वांछित सभी दस्तावेज संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे।

पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र से संबंधित जिला कार्यकम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में तथा http://www.cgstate.gov.in **एवं** http://www.cgwcd.gov.in **पर उपलब्ध है ।**

(किरण कौशल)
संचालक
संचा. महिला एंव बाल विकास
रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदन पत्र का प्रारूप
किशोर न्याय नियम–2007 के नियम 78(3), 80(1) के अन्तर्गत

प्रति,

.....
.....
.....

1. आवेदित संस्था का नाम :– .....

2. **संस्था का पंजीकरण संख्या तथा किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है ।**
:– .....

3. स्थायी पता :–.....
.....

4. (पत्र व्यवहार का पता) :– .....
दूरभाष / मोबाईल :– .....

5. संस्था का प्रयोजन
   - बालक देखरेख एवं संरक्षण ☐
   - बालिका देखरेख एवं संरक्षण ☐
   - अन्य आवश्यकता वाले बच्चों का देखरेख व संरक्षण ☐

6. क्या संस्था जे.जे. रूल के तहत निर्धारित ढॉचागत व्यवस्था का अनुपालन करती है :– हॉ ☐
नहीं ☐

7. संस्था में कार्यरत कर्मचारी संबंधी विवरण (जहां बच्चों की संख्या कम से कम 100 हो, के अनुसार):–

क्रमांक	कर्मचारी	उपलब्धता	अनुपलब्धता
1	सुप्रिटेंडेन्ट		
2	काउंसलर–2		
3	परिविक्षा अधिकारी		
4	हाउस मदर या हाउस फादर–4		
5	प्रशिक्षक–2 (कौशल प्रशिक्षण हेतु)		
6	चिकित्सक–1		
7	पारामेडिकल स्टाफ–1		
8	स्टोरकीपर सह एकाउटेन्ट–1		
9	कला एवं संगीत शिक्षक–1 (पार्ट टाइम)		
10	पीटी सह योगा प्रशिक्षक–1 (पार्ट टाइम)		
11	ड्राईवर–1		
12	रसोईया–2		
13	सहायक–2		
14	हाउस कीपिंग–2		
15	मनोचिकित्सक–1(पार्ट टाइम)		
16	व्यावसायिक थेरेपिस्ट (पार्ट टाइम)		

..जे. रूल 2007 के अंतर्गत पालन किये जा रहे मापदंडों को चिन्हांकित करें :–

- सफाई एवं शौचालय की व्यवस्था ☐
- कपड़े एवं विश्राम की व्यवस्था ☐
- भोजन की व्यवस्था ☐
- चिकित्सकीय व्यवस्था (मासिक चिकित्सकीय जॉच) ☐
- शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था ☐
- मनोरंजन की व्यवस्था एवं ☐
- संस्था में निवासरत बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के रिकार्ड मेन्टेनेन्स एवं एवं उनके संरक्षण की व्यवस्था ☐

16. निम्न लिखित संलग्नों के साथ आवेदन करें :–

1. **संस्था के पंजीकरण की प्रति**
2. **संस्था के तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति**
3. **संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण**
4. **भवन का नक्शा जहां बच्चों को रखा गया है ।**
5. **जे.जे. रूल के अनुसार आवश्यक प्रावधान का विवरण ।**

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

संगठन की प्रबंधन के तरफ से, मै यह घोषणा करता/करती हूं कि आवेदक संस्था गृह के सभी शर्तो जो किशोर न्याय (बालक देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत विदित है, को पुरी तरह से अनुपालन करती है। हमारे द्वारा विश्वास दिलाया जाता है कि संस्था किशोर न्याय अधिनियम 2000/2006 एंव किशोर न्याय नियम 2007 के अधीन दिए गये शर्तो का अनुपालन करते हुए संबंधित विभाग को सभी तरह की सूचनाओं/प्रतिवेदनों/प्रमाणो को प्रस्तुत करने में सक्षम होगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं मुहर

स्थान – ——————————

दिनांक – ——————————